

न्यायालय:- मयंक मोदी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम, (म.प्र.)

क्रमांक...../23

रतलाम, दिनांक 31.10.2023

रिमांड ड्यूटी आदेश

इस आदेश द्वारा माह **नवम्बर-2023** के अवकाश के दिनों में रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य सम्पन्न किये जाने हेतु निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण प्रथम श्रेणी रतलाम/जावरा/सैलाना/आलोट को उनके नाम के समक्ष दर्शित तिथियों के लिये अधिकृत किया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्न दर्शित तिथियों को दोपहर 3:00 बजे से कार्य समाप्ति तक रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक कार्य (न्यायिक) सम्पन्न करेंगे:-

रतलाम:-

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	श्री डी.पी. सूत्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	17, 18, 19
2	श्रीमती ज्योति राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	13, 14, 15
3	सुश्री कृतिका सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	05
4	सुश्री मुग्धा कुमार मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	10, 11, 12
5	सुश्री मनदीप कौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रतलाम	26, 27

जावरा:-

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	श्री अरविंद कुमार बरला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	26, 27
2	श्री एन.एस. ताहेड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	10, 11
3	श्रीमती हर्षिता पिपरेवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	5
4	श्री रोहित शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	12, 13, 14, 15
5	श्री दीपक कनेरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जावरा	17, 18, 19

सैलाना:-

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	सुश्री नेहा सावनेर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	5, 26, 27
2	सुश्री श्रेया शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	10, 11, 12, 19
3	श्री अभिषेक सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सैलाना	13, 14, 15, 17, 18

आलोट:-

क्र.	नाम अधिकारी एवं पद	अवकाश की तिथियाँ
1	श्री मृणाल मोहित गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	10, 11, 12, 13, 14, 15
2	श्रीमती अंशु चौहान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	17, 18, 19
3	श्री स्वस्तिक सावंत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आलोट	05
4	कु. मधुबाला सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,	26, 27

- किसी आकस्मिक परिस्थितियों में निम्न आवश्यक नोट अनुसार रिमांड ड्यूटी संपादित की जावे:-
- 1- उक्त शासकीय अवकाश के अतिरिक्त किसी अन्य कारणवश इस माह कोई अवकाश घोषित होता है तो जिला न्यायालय, रतलाम में श्रीमती मुग्धा कुमार व इनकी अनुपस्थिति में श्री मनीष अनुरागी आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील जावरा में श्री रोहित शर्मा व इनकी अनुपस्थिति में श्री दीपक कनेरिया आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील न्यायालय आलोट में श्री स्वस्तिक सावंत व इनकी अनुपस्थिति में श्री मूणाल मोहित आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे। इसी प्रकार तहसील न्यायालय सैलाना में श्री अभिषेक सोनी व इनकी अनुपस्थिति में सुश्री श्रेया शर्मा आवश्यक रिमाण्ड कार्य संपादित करेंगे।
 - 2- रिमाण्ड ड्यूटी नियत होने वाले किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानान्तरण होने की दशा में उस स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगे। यदि नवीन मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तब नियत रिमाण्ड ड्यूटी मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा संपादित की जायेगी।
 - 3- किशोर/बाल अपचारी के संबंध में रिमाण्ड हेतु आदेश किशोर न्याय बोर्ड, रतलाम के द्वारा प्रदान दिया जावेगा।
 - 4- रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान सम्बन्धित न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के कर्मचारीगण भी अपने-अपने कर्तव्य पद पर उपस्थित रहेंगे।
 - 5- यदि किसी अपरिहार्य एवं युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण से कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त दर्शित तिथियों को आवश्यक न्यायालयीन कार्य सम्पन्न करने में असमर्थ रहें तो वे अपने साथी न्यायिक मजिस्ट्रेट से उक्त दर्शित तिथि को न्यायालयीन कार्य सम्पादन करने हेतु लिखित सहमति प्राप्त कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम को सूचित करेंगे। ऐसी स्थिति में लिखित सहमति देने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का दायित्व रहेगा कि वह इस तरह आपसी समायोजन से नियत दिनोंक को न्यायिक कार्य सम्पन्न करेंगे, ऐसे समायोजन अनुसार अवकाश के दिन आकस्मिक रिमाण्ड एवं आवश्यक न्यायिक कार्य सम्पादन करने के लिए अधिकृत माने जावेंगे।
 - 6- यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के कांडिका क्रं. 1 में दर्शित सहमति प्राप्त करने से अन्यथा (जैसे आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य खराब होने/मेडिकल या अन्य कारणों से मुख्यालय से बाहर रहने/क्वारेन्टाइन रहने) अपरिहार्य कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थता दर्शित की जाती है, तो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उनके चार्ज भारित न्यायालय को सूचना दिये जाने पर रिमांड ड्यूटी करने हेतु अनुपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट के इंचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उक्त रिमाण्ड ड्यूटी का संपादन किया जावेगा।

(मंयक मोदी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम